रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-14102021-230420
CG-DL-E-14102021-230420

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 598] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्तूबर 14, 2021/आश्विन 22, 1943
No. 598] NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 14, 2021/ASVINA 22, 1943

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अक्तूबर, 2021

सा. का. नि. 741(अ).—केंद्रीय सरकार, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 25 की उप-धारा (2) के खंड (क) के साथ पठित धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2009 और गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, कांस्टेबल (समूह 'ग' पद) भर्ती नियम, 2014 को, जहां तक उनका संबंध सहायक उप-निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों से है, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में सहायक उप-निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** -(1) इन नियमों का नाम गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण कार्यकारी काडर समूह 'ग' पद (सहायक उप निरीक्षक, हैड कांस्टेबल और कांस्टेबल) भर्ती नियम, 2021 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. **लागू होना**:- ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. **पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन मैट्रिक्स में स्तर**- पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और इससे संलग्न वेतन मैट्रिक्स में स्तर, वे होंगे जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

4. **भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं, आदि**- उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उपर्युक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. **निरर्हता**- वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया या विवाह की संविदा की है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया या विवाह की संविदा की है,

उक्त पदों पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु, यदि केंद्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं, तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

6. **शिथिल करने की शक्ति:-** जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. **व्यावृत्ति:-** इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	6	(7)
(1) सहायक उप निरीक्षक	117* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-5 (29200-92300 रु.)	चयन	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं ।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 35 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा; (ii) 65 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रोन्नति: (क) ऐसे हैड कांस्टेबल जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25,500-81100/-रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो। (ख) प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारी को दो सप्ताह से अन्यून के लिए अन्वेषण या प्रचालन अथवा आसूचना संबंधी प्रक्रिया में वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। टिप्पण : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष; 2. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य; 3. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।
प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों या सरकार के आसूचना अभिकरण अथवा अन्य अन्वेषण निकायों के ऐसे अधिकारी,- (क) (i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ii) ऐसे हैड कांस्टेबल जिन्होंने किसी राज्य या केन्द्रीय पुलिस संगठनों में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-4 (25500-81100/-रु.) में उस ग्रेड में पांच वर्ष नियमित सेवा की हो; और (ख) जिनके पास निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हो:–		

(i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से बैचलर डिग्री अथवा समतुल्य; और (ii) आपराधिक मामलों के अन्वेषण के क्षेत्र में या आसूचना कार्य या प्रचालन या सूचना प्रौद्योगिकी प्रबंधन के क्षेत्र में कम से कम दो वर्ष का अनुभव। टिप्पण 1: आसूचना संबंधी अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल वही अनुभव अर्हित होगा जो आसूचना अधिकरणों अथवा पुलिस या प्रवर्तन अधिकरण के विशेषज्ञ आसूचना विंग में कार्य करते हुए प्राप्त किया गया हो। टिप्पण 2: पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के लिए पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 5: आमेलित किए गए सहायक उप-निरीक्षकों की कुल संख्या या संख्या सहायक उप-निरीक्षक के कुल स्वीकृत पदों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) हैड कांस्टेबल	158* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-4 (25500-81100/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी

			जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	(i) 35 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा। (ii) 65 प्रतिशत प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
11)	(12)	(13)
प्रोन्नति:- (क) ऐसे कांस्टेबल जिन्होंने राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण में वेतन मैट्रिक्स के स्तर-3 (21,700-69100/- रु.) में पांच वर्ष नियमित सेवा की है; (ख) प्रोन्नति के लिए विचार किए जाने वाले अधिकारी को दो सप्ताह से अन्यून के लिए अन्वेषण या प्रचालन अथवा आसूचना संबंधी प्रक्रिया में वृत्तिक प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। टिप्पण: जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनसे ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो। प्रतिनियुक्ति/आमेलन केन्द्रीय पुलिस संगठनों या राज्य पुलिस संगठनों या सरकार के आसूचना अभिकरण अथवा अन्य अन्वेषण निकायों के ऐसे	समूह 'ग' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे: - 1. उप महानिरीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- अध्यक्ष; 2. पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य; 3. अपर पुलिस अधीक्षक, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण- सदस्य।	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है।

अधिकारी,- (क) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हों; या (ख) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य शैक्षिक अर्हता हों। टिप्पण 1: आसूचना संबंधी अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल वही अनुभव अर्हित होगा जो आसूचना अधिकरणों अथवा पुलिस या प्रवर्तन अधिकरण के विशेषज्ञ आसूचना विंग में कार्य करते हुए प्राप्त किया गया हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: आमेलित किए गए हैड कांस्टेबल की कुल संख्या या संख्या के कुल स्वीकृत पदों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।		

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) कांस्टेबल	314* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'ग', अराजपत्रित, अननुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर-3 (21700-69100/- रु.)	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं।	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति, भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/ आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।	प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा।

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति /आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा।	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना।	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
प्रतिनियुक्ति/आमेलन: (i) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के ऐसे पदधारियों में से जिन्होंने मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं और जिनके पास अन्वेषण या आसूचना या कंप्यूटर या ड्राइविंग के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव हो; और (ii) जिनके पास किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या विश्वविद्यालय से कम से कम 12वीं कक्षा उत्तीर्ण या समतुल्य शैक्षिक अर्हता हों। टिप्पण 1: आसूचना संबंधी अनुभव के प्रयोजन के लिए, केवल वही अनुभव अर्हित होगा जो आसूचना अधिकरणों अथवा पुलिस या प्रवर्तन अधिकरण के विशेषज्ञ आसूचना विंग में कार्य करते हुए प्राप्त किया गया हो। टिप्पण 2: प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 3: प्रतिनियुक्ति द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी। टिप्पण 4: आमेलित किए गए कांस्टेबल की कुल संख्या या संख्या के कुल स्वीकृत पदों के बीस प्रतिशत से अधिक नहीं होगी।	लागू नहीं होता।	लागू नहीं होता।

[फा. सं. 45021/07/2021/एनआईए]

आशुतोष अग्निहोत्री, संयुक्त सचिव (सीटीसीआर)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th October, 2021.

G.S.R. 741(E).—In exercise of the powers conferred by section 5 read with clause (a) of sub-section (2) of section 25 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008), and in supersession of the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency (Group 'C' posts) Recruitment Rules, 2009 and in supersession of Ministry of Home Affairs , National Investigation Agency, Constable (Group 'C' post) Recruitment Rules, 2014 in so far as they relate to the post of Assistant Sub-Inspector, Head Constable and Constable except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Assistant Sub-Inspector, Head Constable and Constable in the National Investigation Agency, Ministry of Home Affairs, namely:-

1. **Short title and commencement**.–(1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, National Investigation Agency, Executive Cadre Group 'C' Posts (Assistant Sub-Inspector, Head Constable and Constable) Recruitment Rules, 2021.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Application.-**These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule annexed to these rules.

3. Number of posts, classification and Level in the pay matrix.– The number of the posts, their classification and level in the pay matrix attached thereto shall be as specified in the columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

4. **Method of recruitment, age-limit, qualifications, etc**.– The method of recruitment, age- limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

5. **Disqualification**.–No person,-

(a) who has entered into or contracted a marriage with any person having a spouse living; or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said posts:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

6. **Power to relax. –** Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. **Saving. –** Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the ex-servicemen and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(1) Assistant Sub-Inspector.	117* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C' Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Level-5 (Rs. 29200-92300) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.z	Not applicable.	(i) 35 per cent. by promotion failing which by deputation;

			(ii) 65 per cent. by deputation or absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Head Constable with five years of regular service in level-4 (Rs. 25500-81100/-) in pay matrix in the National Investigation Agency. (b) The officer being considered for promotion shall have undergone professional training in investigation or operations or intelligence related procedure for a period not less than two weeks. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation/Absorption: Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Government's Intelligence Agency or other investigation bodies,- (a) (i) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and (ii) Head constable in the level-4 (Rs. 25500- 81100/-) in the pay matrix with five years of regular service in that grade in the State or Central Police organisations; and (b) possessing the following educational qualifications and experience:- (i) Bachelor's degree from a recognised university or equivalent; and (ii) Experience of at least two years in the field of investigation of criminal cases, or intelligence work or operations or Information Technology Management. Note 1.- For the purpose of experience in intelligence, only such experience shall qualify which has been acquired through working in Intelligence Agencies or specialised intelligence	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General, National Investigation Agency- Chairman; 2. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member; 3. Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency- Member.	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

wing of a police or Enforcement Agency. Note 2.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion. Note 3.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 4.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of application. Note 5.-The total number or strength of Assistant Sub-Inspector absorbed shall not exceed twenty per cent of the total sanctioned posts of Assistant Sub-Inspector.		

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(2) Head Constable.	158* (2021) *Subject to variation depended on workload.	General Central Service, Group C, Non-Gazetted, non-Ministerial.	Level-4 (Rs. 25500-81100) in the pay matrix.	Selection.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational Qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	(i) 35 per cent. by promotion failing which by deputation; (ii) 65 per cent. by deputation or absorption;

In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Promotion: (a) Constable in the National Investigation Agency with at least five years of regular service in the Level-3 in the pay matrix; (b) The officer being considered for promotion shall have undergone professional training in investigation or	Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:- 1. Deputy Inspector General of Police, National Investigation Agency-	Consultation with Union Public Service Commission is not necessary.

operations or intelligence related procedure for a period not less than two weeks. Note:- Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their seniors would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service, or two years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service. Deputation /Absorption: Officers of the Central Police Organisations or State Police Organisations or Government's Intelligence Agency or other investigation bodies,- (a) holding analogous post on regular basis in the parent cadre or department; and ((b) possessing the minimum educational qualifications of 12th class pass or equivalent from any recognized Board of University. Note 1.- For the purpose of experience in intelligence, only such experience would qualify which has been acquired through working in Intelligence Agencies or specialised intelligence wing of a police or Enforcement Agency. Note 2.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4.- The total number or strength of Head Constable absorbed shall not exceed twenty per cent of the total sanctioned posts of Head Constable.	Chairman; 2. Superintendent of Police, National Investigation Agency – Member; 3. Additional Superintendent of Police, National Investigation Agency- Member.	

Name of the post.	Number of posts.	Classification.	Level in the pay matrix.	Whether selection post or non-selection post.	Age-limit for direct recruits.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
(3) Constable.	314* (2021) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-ministerial.	Level-3 (Rs. 21700-69100) in the pay matrix.	Not applicable.	Not applicable.

Educational and other qualifications required for direct recruit.	Whether age and Educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment, whether by direct Recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods.
(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable.	Not applicable.	Not applicable.	By deputation/ absorption.

In case of recruitment by promotion or deputation/ absorption, grades from which promotion or deputation / absorption to be made.	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
(11)	(12)	(13)
Deputation / Absorption: (i) From amongst officials of the Central Government or State Government or Union territories holding analogous posts on regular basis in the parent cadre or department having five years experience in the field of investigation or intelligence or computer or driving; and (ii) possessing the minimum educational qualifications of 12th class pass or equivalent from any recognized Board of University. Note 1.- For the purpose of experience in intelligence, only such experience would qualify which has been acquired through working in Intelligence Agencies or specialised intelligence wing of a police or Enforcement Agency. Note 2.- The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation or department of the Central Government shall ordinarily not exceed three years. Note 3.- The maximum age-limit for appointment by deputation shall not be exceeding fifty-six years as on the closing date of receipt of applications. Note 4.-The total number or strength of Constable absorbed shall not exceed twenty per cent. of the total sanctioned posts of Constable.	Not applicable.	Not applicable.

[F. No. 45021/07/2021-NIA]

ASHUTOSH AGNIHOTRI, Jt. Secy. (CTCR)

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA Digitally signed by MANOJ KUMAR VERMA Date: 2021.10.14 22:30:05 +05'30'